

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: श्री एम०के० सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 100—एक / 14 विरुद्ध आदेश दिनांक 26—11—13 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, म०प्र०, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 5(1) / 2013—14 / 3348.

मेसर्स एसोसियेटेड अल्कोहल एंड ब्रेवरीज  
लिमिटेड, खोड़ी ग्राम ग्राम बड़वाह,  
जिला खरगौन म०प्र०

— अपीलांट

विरुद्ध

- 1— आबकारी आयुक्त, म०प्र० ग्वालियर
- 2— उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन
- 3— सहायक आबकारी आयुक्त, जिला उज्जैन
- 4— जिला आबकारी अधिकारी एसोसियेटेड  
अल्कोहल्स एण्ड ब्रेवरीज लि. बड़वाह  
जिला खरगौन म.प्र.

— रिस्पोडेंट्स

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री के०के० द्विवेदी ।  
रिस्पोडेंट की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला ।

आदेश :

( आज दिनांक ०७, अक्टूबर २०१५ को पारित )

यह अपील आबकारी आयुक्त, म०प्र०, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5(1) / 2013—14 / 3348 में पारित आदेश दिनांक 26—11—13 के विरुद्ध म०प्र० आबकारी अधिनियम, 1915 ( जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा ) की धारा 62 के अंतर्गत बने अपील, रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट कंपनी को वर्ष 2011—12 में जिला खरगौन प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति आबकारी आयुक्त के पत्र दिनांक 15—2—11 द्वारा दी गई । सहायक आबकारी आयुक्त जिला उज्जैन द्वारा दिनांक 23—9—11 को अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलांट ने



मझभाण्डागार में अप्रैल एवं मई 11 में रेकटीफाइड स्प्रिट एवं भरी बोतलों का तथा माह जून से अगस्त 2011 तक भरी हुई बोलतों का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध के अनुसार नहीं रखा है जिसके कारण मदिरा प्रदाय हेतु चालान लंबित रहे। मझभाण्डागार खाचरौद, महिदपुर एवं तराना में भी भरी हुई बोतलों का न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है। इस संबंध में अपीलांट को दिनांक 22-10-11 को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया जिसका उत्तर अपीलांट इकाई द्वारा 8-11-11 को प्रस्तुत किया गया। विचारोपरांत आबकारी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलांट कंपनी को म0प्र0 देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 4(4) के उल्लंघन का दोषी तथा नियम 12(1) के अंतर्गत दंडनीय मानते हुए 15000/- शास्ति आरोपित की। इसके साथ उल्लंघन के लिए कुल 96 दिवसों पर मदिरा प्रदाय हेतु चालानलंबित रहने तथा बोतलबंद मदिरा का न्यूनतम संग्रह न रखने से रूपये 500/- प्रतिदिन के मान से कुल रूपये 56,500/- तथा उक्त अवधि में भाण्डागारों में कुल 162 दिवस केवल बोतल बंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध न रखने जाने से 250/- रूपये प्रतिदिन के मान से 40,500/- कुल रूपये 1,12,000/- की शास्ति आरोपित की। आबकारी आयुक्त के इस आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3— आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपील मेमो में उद्धरित किए गए हैं।

4— प्रत्यर्थी शासन की ओर से लिखित बहस पेश की गई है।

5— उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उनके द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांतों का परिशीलन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण वर्ष 2011-12 का है। न्यूनतम संग्रह नहीं रखने के लिए अपीलांट को तत्समय नोटिस दिए गए हों इस संबंध में कोई प्रमाण आबकारी आयुक्त के अभिलेख में नहीं है। जबकि प्रकरण में माहवार समीक्षा करके तुरंत नोटिस दिया जाना चाहिए था। न्यूनतम संग्रह रखने संबंधी प्रावधान का उद्देश्य यह है कि प्रदाय संविदाकार को बाध्य करें ताकि मदिरा प्रदाय करने में निरंतरता बनी रहे। न्यूनतम संग्रह नहीं रखने के लिए काफी समय पश्चात नोटिस देने की स्थिति में इस नियम की मंशा पूरी नहीं होती है। अभिलेख में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके अनुसार आपूर्ति प्रभावित हुई हो या न्यूनतम संग्रह न रखने के कारण शासन द्वारा मदिरा

खुले बाजार से कथ की गई हो, जिससे शासन को राजस्व की हानि हुई हो न्यायदृष्टांत 1997 आर0एन0 366 (गवालियर सिस्टिलर्स (मेसर्स) विरुद्ध म0प्र0 राज्य तथा एक अन्य ) में इस न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 1955 एवं ए0आई0आर0 1973 एस0सी0 1098 पर आधारित होकर निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

“ संविदा अधिनियम, 1872 – धारा 74 – एकपक्ष द्वारा किसी संविदा के निंबंधन भंग – दूसरे पक्ष को हानि हुई, ऐसी हानि मात्र वसूल की जा सकती है – “संत्रासकाकर शास्ति” अधिरोपित नहीं की जा सकती है । ”

शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विरुद्ध उड़ीसा राज्य ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 253 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

“ But the liability to pay penalty does not arise merely upon proof of default in registering as a dealer. An order imposing penalty for failure to carry out a statutory obligation is the result of a quasi criminal proceeding, and penalty will not ordinarily be imposed unless the party obliged either acted deliberately in defiance of law or was guilty of conduct contumacious or dishonest, or acted in conscious disregard of its obligation. Penalty will not also be imposed merely because it is lawful to do so. Whether penalty should be imposed for failure to perform a statutory obligation is a matter of discretion of the authority to be exercised judicially and on a consideration of all relevant circumstances. Even if a minimum penalty is prescribed, the authority competent to impose the penalty will be justified in refusing to impose penalty, when there is a technical or venial breach of the provisions of the Act or where the breach flows from a bonafide belief that the offender is not liable to act in the manner prescribed by the statute.”

इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक अपील 1003-पीबीआर/11 ( मेसर्स ग्रेट गेलेयन लिमिटेड, धार विरुद्ध आबकारी आयुक्त ) में विद्वान अध्यक्ष ने दिनांक 22-12-11 को आदेश पारित करते हुए न्यायदृष्टांत ए0आई0आर0 1970 एस0सी0 253, 1997 आर0एन0 366, 1989 आर0एन0 76, 1992 आर0एन0 244 एवं 1995 आर0 एन0 157 के अनुसरण में आबकारी आयुक्त द्वारा आरोपित शास्ति को समाप्त करते हुए आबकारी आयुक्त का आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया गया है तथा अपील स्वीकार की गई है ।

वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ऊपर उद्धरित न्यायदृष्टांत पूरी तरह से लागू होते हैं, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह माना जा सके कि अपीलांट आसवक द्वारा जानबूझकर न्यूनतम संग्रह से कम संग्रह रखा गया है और उसके द्वारा दोषी मंशा से उक्त कृत्य किया गया है। प्रकरण में किसी फुटकर ठेकेदार को कोई नुकसान होना तथा राज्य शासन को किसी प्रकार की कोई हानि होना भी प्रतिवेदित नहीं है। आबकारी आयुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्य पर बिना विचार किये यांत्रिकी रूप से शास्ति आरोपित की गई है जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इस न्यायालय की पूर्णपीठ, खंडपीठ एवं एकलपीठ द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण समाप्त किए जाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में आबकारी आयुक्त का पारित आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं होने से स्थिर रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा प्रोक्रो 5(1) / 2013-14 / 3348 में पारित आदेश दिनांक 26-11-13 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। अपील प्रकरण क्रमांक 103-एक / 14 के तथ्य भी इस प्रकरण के समान होने से यह आदेश इस प्रकरण में भी लागू होगा। इस प्रकरण से संबंधित प्रोक्रो 5(1) / 2013-14 / 3349 में आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-11-13 भी निरस्त किया जाता है और यह अपील भी स्वीकार की जाती है।

(एमो को सिंह )

सदस्य

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,  
गwalियर